

पश्चिमा थारु

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय संविधानके मूलभूत प्रावधानः छोटकरी चिनारी

१. नेपालके संविधान आत्मसात कर्लक् मूल्य, मान्यता ओ सिद्धान्त

- नेपालके स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता ओ स्वाभिमानहे अक्षुण्ण रख्ना ।
- जनताके सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता ओ स्वशासनके अधिकारहे आत्मसात कैगैलक ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र ओ अग्रगामी परिवर्तनके लग हुइलक ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग ओ बलिदानहे सम्झौती शहीद, बेपत्ता ओ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक ओ भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताहे आत्मसात कैके विविधता बीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता ओ सद्भावके संरक्षण ओ प्रवर्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद ओ सक्तु मेरीक जातीय छुवाछूत ओरवाके आर्थिक समानता ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण ।
- जनताके प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ओ स्वतन्त्र, निष्पक्ष ओ सक्षम न्यायपालिका ओ कानूनी राज्यके अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहीके समृद्ध राष्ट्र बनैना प्रतिबद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाके माध्यमसे दिगो शान्ति, सुशासन, विकास ओ समृद्धि कर्ना उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतासे जारी हुइलक संविधान नेपालके मूल कानून हो ।
- संविधानसे बाभूजैना कानून बाभूलक हदसम अमान्य हुइना ।
- संविधानके पालना कर्ना प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य हुइना ।
- नेपालके सार्वभौमसत्ता ओ राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहलक ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रलक बराबर आकांक्षा ओ नेपालके राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित ओ समृद्धिप्रति आस्थावान रहीके एकताके सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रके रूपमे रहना ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
- नेपालमे बोल्जैना सक्तु मातृभाषा राष्ट्रभाषाके रूपमे रहना ।
- देवनागरी लिपिमे लिख्जैना नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हो ।
- नेपाली भाषाके अतिरिक्त प्रदेश आपन प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनता बोल्ना डोसर राष्ट्रभाषाहे प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशके सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करे सेक्ना ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कौनो फेन नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त कर्ना हकसे वञ्चित नैहुइना ।

- प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताके व्यवस्था कैगैलक ।
- संविधान प्रारम्भ हुइबेरीक समय नेपालके नागरिकता पैलक व्यक्ति नेपालके नागरिक हुइना ।
- वंशजके आधारमे नेपालके नागरिकता प्राप्त कर्ना व्यक्ति निजके बाबा वा डाईक् नाउँसे लैङ्गिक पहिचान सहितके नागरिकताके प्रमाणपत्र पैना ।
- नागरिकके परिचय खुल्ना मेरीक अभिलेख ढूझैना ।
- नेपाली नागरिकता मिल्ना अवस्था :-

१. वंशज

- संविधान प्रारम्भ हुइनासे आगे वंशजके नागरिकता पैलक व्यक्ति,
 - जन्म हुइबेर कौनो व्यक्तिके बाबा वा डाई नेपालके नागरिक रलक अवस्थामे ओसिन व्यक्ति,
 - संविधान प्रारम्भ हुइनासे आगे बाबा वा डाई डुन्जाने जन्मके आधारमे नेपालके नागरिकता पैलक सन्तान बालिग हुइलक बाद,
 - नेपालभित्तर फेला पर्लक् पितृत्व ओ मातृत्वके ठेगान नैहुइलक नावालक निजके बाबा वा डाई फेला नैपरलसम्म,
 - नेपालके नागरिक डाईसे नेपालमे जन्म होके नेपालमे जो बसोबास कर्लक ओ बाबक् पहिचान हुइ नैसेकलक व्यक्ति,
- मने बाबा विदेशी नागरिक ठहरलमे संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हुइना,
- विदेशी नागरिकसे भोज कर्लक नेपाली महिला नागरिकसे जन्मल, निज नेपालमे जो स्थायी बसोबास कैके निज विदेशी मुलुकके नागरिकता नैपैलक ओ नागरिकता पाइबेरीक समय निजके डाई ओ बाबा डुनु नेपाली नागरिक बटाँ कलेसे नेपालमे जन्मल ओसिन व्यक्ति ।

२. अंगीकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाइ सेक्ना ।

ख. वैवाहिक अंगीकृत

- नेपाली नागरिकसे वैवाहिक सम्बन्ध कायम कर्लक विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
 - विदेशी नागरिकसे भोज कर्लक नेपाली नागरिकसे जन्मल, नेपालमे जो स्थायी बसोबास कर्लक ओ विदेशी नागरिकता नैपैलक व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम
- मने नागरिकता पाइबेरीक समय डाई ओ बाबा डुनु नेपाली नागरिक रलेसे वंशजके आधारमे नेपाली नागरिकता पैना ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता डेहे सेक्जैना ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- विदेशी मुलुकके नागरिकता पैलक, सार्क बाहेकके मुलुकमे बसोबास कर्लक, साविकमे वंशज वा जन्मके आधारमे निज वा निजके बाबा वा डाई, बुदु वा बुदी नेपालके नागरिक रहीके पाछे विदेशी नागरिकता पैलक व्यक्ति
- संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करे पैना

५. नेपालमे गाभल क्षेत्रमे बसोबास कर्ना व्यक्तिके नागरिकता

- नेपालभित्तर गाभजैना मेरीक कौनो क्षेत्र मिल्लेसे ओसिन क्षेत्रभित्तर बसोबास कर्लक व्यक्ति संघीय कानूनके अधीनमे रहीके नेपालके नागरिक हुइना ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालके संविधान सबके लग सम्मानपूर्वक जिए पैना हक, स्वतन्त्रताके हक, समानताके हक, सञ्चारके हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितके हक, यातना विरुद्धके हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धके हक, छुवाछूत ओ भेदभाव विरुद्धके हक, सम्पत्तिके हक, धार्मिक स्वतन्त्रताके हक, सूचनाके हक, गोपनीयताके हक, शोषण विरुद्धके हक, स्वच्छ वातावरणके हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा ओ संस्कृतिके हक, रोजगारीके हक, श्रमके हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासके हक, महिलाके हक, बालबालिकाके हक, दलितके हक, ज्येष्ठ नागरिकके हक, सामाजिक न्यायके हक, सामाजिक सुरक्षाके हक, उपभोक्ताके हक, देश निकाला विरुद्धके हक, संवैधानिक उपचारके हक हे मौलिक हकके रूपमा स्थापित कैगैल वा। साथे, संवैधानिक निकायके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था कैगैल वा।

यी बाहेक, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता हुइलक व्यक्ति, थारु ओ मुस्लिमके सम्बन्धमे अन्य अधिकार टरे डेहल बमोजिम वा:

४.१ महिलाके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना
- लैंगिक विभेद अन्त्य कर्ना।
- डाईक् नाउँसे नागरिकता पइना लगायतके नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकताके शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख करल बमोजिम हुइना।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकइजैना।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल महिला लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कहिना।
- महिलाहे लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुइना।
- महिलाहे सुरक्षित मातृत्व ओ प्रजनन स्वास्थ्यके हक हुइना।
- महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कौनो आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कौनो मेरीक हिंसाजन्य काम वा शोषण नैकइजैना ओ ओसिन काम दण्डनीय हुइना ओ पीडित क्षतिपूर्ति पइना।
- राज्यके सक्कु निकायमे महिलन्के समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागीता रहना।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी ओ सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष अवसर पैना।
- सम्पत्ति ओ पारिवारिक मामिलामे दम्पतीके बराबर हक हुइना।
- सामाजिक रूपले पाढ्ये परल महिला,फेन समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पइना सामाजिक न्यायके हक हुइना।
- आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त ओ असहाय अवस्थामे रलक, असहाय एकल महिला समेत सामाजिक सुरक्षा पइना हक हुइना।
- मौलिक हक ओ मानव अधिकारके मूल्य ओ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित कैना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना।
- असहाय अवस्थामे रलक एकल महिलाहे सीप, क्षमता ओ योग्यताके आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता डेटी जीविकोपार्जनके लग समुचित व्यवस्था कर्ना।
- जोखिममे पर्लक, सामाजिक ओ पारिवारिक बहिष्करणमे पर्लक ओ हिंसा पीडित महिलाहे पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कैके स्वावलम्बी बनैना।
- प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगके सुनिश्चितता कर्ना।
- लर्कापर्कनके पालन पोषण, परिवारके हेरचाह जसिन काम ओ योगदानहे आर्थिक रूपमा मूल्यांकन कर्ना।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीन्के पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कैटी पुनःस्थापना कर्ना।
- आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना।

- राज्यके संरचना करेवेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके रना ।
- प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीके लग उम्मेदवारी डेहेवेर महिलाहे समेत समावेश कैके बन्दसूची तयार कर्ना ।
- संघीय संसद ओ प्रदेश सभामे निर्वाचित हुइना जम्मा सदस्यके कम्तीमे एक तिहाइ महिला सदस्य हुइना मेरीक सुनिश्चित कैगैलक ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे तीन जने महिला निर्वाचित हुइना ओ मनोनीत करेवेर कम्तीमे एक जने महिला समावेश करेपर्ना ।
- प्रतिनिधि सभाके सभामुख ओ उपसभामुखमध्ये एक जने ओ राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष ओ उपाध्यक्षमध्ये एक जने महिला रना ।
- प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जने महिला रना ।
- गाउँ कार्यपालिका ओ नगर कार्यपालिकामे चार जने महिला सदस्य रना ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे कम्तीमे तीनजने महिला रना ।
- गाउँपालिका ओ नगरपालिकाके प्रत्येक वडासे कम्तीमे दुईजने महिलाके प्रतिनिधित्व हुइना मेरीक गाउँसभा ओ नगरसभाके गठन हुइना ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायके रूपमे रना ओ ओकर अध्यक्ष ओ सदस्यलोग महिला किल रना ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करे सेक्ना ।
- नेपाली सेनामे महिला समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक निकाय ओ अन्य निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.२ दलितके अधिकार सम्बन्धमे

- सक्कु मेरीक जातीय छुवाछूतके अन्त्य कर्ना ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य रना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल महिला, दलित, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- कौनो व्यक्तिहे उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाके आधारमे कौनो निजी ओ सार्वजनिक स्थानमे कौनो मेरीक छुवाछूत वा भेदभाव नैकैजैना ।
- कौनो वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण करेवेर ओसिन वस्तु, सेवा वा सुविधा कौनो खास जात वा जातिके व्यक्तिहे खरीद वा प्राप्त कर्नासे रोक लगाइजैना वा ओसिन वस्तु, सेवा वा सुविधा कौनो खास जात वा जातिके व्यक्तिहे किल विक्री वितरण वा नैडेना ।
- उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाके आधारमे कौनो व्यक्ति वा समुदायहे उच्च वा नीच दर्शेना, जात, जाति वा छुवाछूतके आधारमे सामाजिक भेदभावहे न्यायोचित ठन्ना वा छुवाछूत ओ जातीय उच्चता वा घृणामे आधारित विचारके प्रचार प्रसार कर्ना वा जातीय विभेदहे कौनो मेरसे प्रोत्साहन करे नैपैना ।
- जातीय आधारमे छुवाछूत कैके वा नैकैके कार्यस्थलमे कौनो प्रकारके भेदभाव करे नैपैना ।
- सक्कु मेरीक छुवाछूत ओ भेदभावजन्य काम गम्भीर सामाजिक अपराधके रूपमे दण्डनीय हुइना ओ पीडित क्षतिपूर्ति पइना ।
- दलित राज्यक् सक्कु निकायमे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागी हुइ पइना ।
- दलित समुदाय आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप ओ प्रविधिके प्रयोग, संरक्षण ओ विकास करे पइना ।
- सार्वजनिक सेवा लगायतके रोजगारीके अन्य क्षेत्रमे दलित समुदायके सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व ओ सहभागिताके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- दलित विद्यार्थीहे प्राथमिकसे उच्च शिक्षासम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाके व्यवस्था कैजैना ।

- प्राविधिक ओ व्यावसायिक उच्च शिक्षामे दलितके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- दलित समुदायहे स्वास्थ्य ओ सामाजिक सुरक्षा डेना विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- दलित समुदायके परम्परागत पेशासे सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमे ओइनहे प्राथमिकता डेके ओकर लग आवश्यक पर्ना सीप ओ स्रोत उपलब्ध करा जैना ।
- भूमिहीन दलितहे एकफेरा जमीन उपलब्ध करैना ओ आवासविहीन दलितहे बसोबासके व्यवस्था कैजैना ।
- दलित समुदायहे प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष ओ सक्कु समुदायके दलित समानुपातिक रूपमे पड़ना मेरीक न्यायोचित वितरण कैजैना ।
- सामाजिक रूपले पाछे पर्लक महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति ओ संस्कारके नाउँमे हुइना सक्कु मेरीक विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायके अन्त्य कर्ना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीन्के पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कर्टी पुनःस्थापना कर्ना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेवेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेवेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक जने दलित निर्वाचित करेपर्ना ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभा निर्वाचित कर्लक दुईजने सदस्य रहना ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभा निर्वाचित कर्लक तीनजने सदस्य रहना ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभा निर्वाचित कर्लक कम्तीमे एकजने सदस्य रहना ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायके रूपमा रहना ओ ओकर अध्यक्ष ओ सदस्य दलित किल रहना ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करे सेक्ना ।
- नेपाली सेनामे दलित समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.३ मधेशीके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल मधेशी लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पैना ओ ओकर लग विद्यालय ओ शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पाछे परल मधेशी समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पड़ना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति ओ संस्कारके नाउँमे हुइना सक्कु प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायके अन्त्य कर्ना ।

- मध्येशीहे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर ओ लाभके बराबर वितरण ओ ओस्टक समुदायभित्तरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीनके पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कैटी पुनःस्थापना कर्ना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेवेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेवेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रूपमे नेपालमे एक मध्येशी आयोग रहना ।
- नेपाली सेनामे मध्येशी समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.४ आदिवासी जनजातिके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- जातीय, क्षेत्रीय ओ भाषिक विभेदके अन्त्य कर्ना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना,
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पड्ना ओ ओकर लग विद्यालय ओ शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- राष्ट्रिय सम्पदाके रूपमे रलक कला, साहित्य ओ सङ्गीतके विकासमे जोड डेना,
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति ओ संस्कारके नाउँमे हुइना सक्कु प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण ओ अन्यायके अन्त्य कर्ना ।
- देशके सांस्कृतिक विविधता कायम रख्नी समानता ओ सहअस्तित्वके आधारमे मेरमेरीक जातजाति ओ समुदायके भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र ओ सम्पदाके संरक्षण ओ विकास कर्ना ।
- आदिवासी जनजातिके पहिचान सहित सम्मानपूर्वक जिए पैना अधिकार सुनिश्चित कर्ना अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- आदिवासी जनजातिन्‌से सरोकार रख्ना निर्णयमे सहभागी करैना ।
- आदिवासी जनजाति ओ स्थानीय समुदायके परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा ओ अनुभवहे संरक्षण ओ संवर्धन कर्ना ।
- राज्यके संरचना करेवेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके हुइना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेवेर समावेशी आधारमे कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रूपमे नेपालमे एक आदिवासी जनजाति आयोग रहना ।

- नेपाली सेनामे आदिवासी जनजाति समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमा कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमा नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.५ पिछडा वर्गके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल पिछडा वर्ग लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल पिछडा वर्ग समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर ओ लाभके बराबर वितरण ओ ओसिन समुदायभित्तरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- पिछडा वर्ग समेतके हक अधिकारके संरक्षणके लग संवैधानिक आयोगके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामे पिछडा वर्ग समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- राजनीतिक, आर्थिक ओ सामाजिक रूपले पाछे पारगैल, विभेद ओ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताके कारणले सेवा सुविधाके उपभोग करे नैसेक्लक वा मानव विकासके स्तर से न्यून स्थितिमे रलक समुदायहे सीमान्तीकृत समुदायके रूपमे परिभाषा कैगैलक ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल सीमान्तीकृत समुदाय समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेबेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।

- सीमान्तीकृत समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करक लग संवैधानिक आयोगके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रलक जातीय, भाषिक ओ धार्मिक समूहहे अल्पसंख्यकके रूपमे परिभाषा कैगैलक ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल अल्पसंख्यक लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल अल्पसंख्यक समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- आपन पहिचान कायम रख्नी सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- उत्पीडित ओ पिछरल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास ओ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कैजैना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेवेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेजैना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक जने अपांगता हुइलक व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेवेर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कर्ना ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभा निर्वाचित कर्लक दुईजने सदस्य हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभा निर्वाचित कर्लक तीनजने सदस्य हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभा निर्वाचित कर्लक कम्तीमे एकजने सदस्य हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करक लग संवैधानिक आयोगके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।

४.८ थारुके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य कर्ना ।
- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- मौलिक हक ओ मानव अधिकारके मूल्य ओ मान्यता सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल थारु लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।

- नेपालमा बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पड्ना ओ ओकर लग विद्यालय ओ शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल थारु समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पैना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकृम्बासीनके पहिचान कैके बसोबासके लग घर घडेरी ओ जीविकोपार्जनके लग कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कर्टी पुनःस्थापना कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रूपमे एक थारु आयोगके व्यवस्था कैगैलक ।
- राज्यके संरचना करेबेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके हुइना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी आधारमे कर्ना ।
- संवैधानिक आयोगके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था कैगैलक ।
- नेपाली सेनामे थारु समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमा नियुक्ति कैजैना ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक ओ सांस्कृतिक पक्षहे समेत ध्यान रख्नी काम करक लग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुइना ।

४.९ मुस्लिमके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य कर्ना ।
- समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- मौलिक हक ओ मानव अधिकारके मूल्य ओ मान्यता सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल मुस्लिम लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पैना ओ ओकर लग विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ना ओ सञ्चालन कर्ना हक हुइना ।
- नेपालमे बसोबास कर्ना प्रत्येक नेपाली समुदायहे आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता ओ सम्पदाके संवर्धन ओ संरक्षण कर्ना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल मुस्लिम समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पड्ना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- मुस्लिम समुदाय समेतहे आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अवसर ओ लाभको बराबर वितरण ओ औसिन समुदायभित्तरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण ओ विकासके अवसर ओ लाभके लग विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- संवैधानिक निकायके रूपमे एक मुस्लिम आयोग रहना ।
- राज्यके संरचना करेबेर समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व ओ पहिचानके संरक्षण कर्ना ।
- राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायके रना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुइना प्रतिनिधि सभा ओ प्रदेश सभाके निर्वाचनके लग राजनीतिक दल उम्मेदवारी डेहेबेर समावेशी आधारमे कर्ना ।
- नेपाली सेनामे मुस्लिम समेतके प्रवेश समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कैजैना ।

- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक ओ सांस्कृतिक पक्षहे समेत ध्यान रख्नी काम करक लग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुइना ।

४.१० अपांगता हुइलक व्यक्तिके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर्ना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हुइना ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि ओ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करक लग समानुपातिक समावेशी ओ सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाज बनैना ।
- सामाजिक सुरक्षा ओ सामाजिक न्याय डेहेवेर सक्कु लिंग, क्षेत्र ओ समुदायभित्तरके आर्थिक रूपले विपन्नहे प्राथमिकता डेना राज्यके सामाजिक न्याय ओ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हुइना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा अस्टे अन्य कौनो आधारमे भेदभाव नैकैजैना ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछरल, अपांगता हुइलक व्यक्ति, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासके लग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था कर्ना ।
- अपांगता हुइलक ओ आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहे कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पढना हक हुइना ।
- दृष्टिविहीन नागरिकहे ब्रेललिपि ओ बहिरा ओ स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता हुइलक नागरिकहे सांकेतिक भाषाके माध्यमसे कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पढना हक हुइना ।
- सामाजिक रूपले पिछरल अपांगता हुइलक व्यक्ति समेतहे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हुइ पढना सामाजिक न्यायके हक हुइना ।
- अपांगता हुइलक नागरिकहे विविधताके पहिचान सहित मर्यादा ओ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करे पैना ओ सार्वजनिक सेवा ओ सुविधामे बराबर पहुँचके हक हुइना ।
- आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त ओ असहाय अवस्थामे रलक, अपांगता हुइलक नागरिकहे सामाजिक सुरक्षाके हक हुइना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक जने अपांगता हुइलक व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुइना सुनिश्चित कैगैलक ।
- अपांगता हुइलक व्यक्ति समेतके हक अधिकारके संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास ओ समृद्धिके लग संवैधानिक आयोगके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था कैगैलक ।
- नेपाली राजदूत ओ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमे नियुक्ति कैजैना ।
- संवैधानिक अंग ओ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमा नियुक्ति कैजैना ।